जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा

E Mail – dlsa4banswara@gmail.com Phone No. 02962-294488

Helpline No. 15100

क्रमांक :– 1362 दिनांक :– 17-7-23

रद्दी नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा में अनुपयोगी कागजात तथा अखबार की रद्दी की नीलामी हेतु ए.डी.आर. भवन, माही कॉलोनी, बांसवाड़ा में दिनांक 26.07.2023 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली बोली द्वारा की जावेगी। इच्छुक खरीददार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में रद्दी का अवलोकन कर सकते है।

इच्छुक खरीददार नीलामी बोली के दिन निर्धारित अवधि में स्वयं उपस्थित होकर निम्न शर्तो के अन्तर्गत नीलामी बोली लगा सकते है :–

1. नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदार की रद्दी की रू. 500/– अमानत राशि जमा कराना होगी।
2. नीलामी की तिथि स्थगित करने तथा अंतिम बोली स्वीकार, अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
3. नीलामी प्रति क्विंटल की दर से की जावेगी/पैसो में बताई गई राशि को 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 से अधिक पैसे को निकटतम रूपयो मे माना जावेगा।
4. अधिकतम नीलामी की राशि बोली देने वाले के नाम नीलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा।
5. नीलामी के सफल खरीददार को तलफशुदा रद्दी कागजात तोलने के बाद उसी समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के कार्यालय में जमा करानी होगी। जमा होने के पश्चात् नीलामीशुदा रद्दी की रसीद खरीददार को सुपूर्द की जावेगी।
6. नीलामी के समय खरीददार को तलफशुदा रद्दी तोलने हेतु कांटा/बांट स्वयं को लाना होगा अथवा अधिकृत इलेक्ट्रोनिक कांटा पर तुलवाना होगा। तुलवाने की सारी प्रक्रिया का खर्चा उनका स्वयं का होगा।
7. अधिकतम बोली लगाने वाले की उसकी बोली स्वीकार हो जाने पर तत्काल रू. 1000/– (अक्षरे रू एक हजार मात्र) उपरोक्त अमानत राशि रू. 500/– के अतिरिक्त जमा करानी होगी और एक अनुबन्ध इस आशय का कराना होगा कि वह स्वयं अपने खर्चे पर समस्त रद्दी, तराजू, बांट लाकर नीलामी की तारीख से 10 दिन के अन्दर कार्य दिवस में कार्यालय से रद्दी उठा लेगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई गई राशि रू. 1000/– (अक्षरे रू एक हजार मात्र) एवं नीलामी पूर्व

जमा कराई गई अमानत राशि जप्त सरकार मानी जावेगी तथा रद्दी खरीदार का अधिकार समाप्त हो जायेगा व रद्दी पुनः नीलाम कर दी जावेगी।

8. जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उन्हें उनके द्वारा जमा करवाये गये धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दी जावेगी।
9. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बांसवाड़ा मुख्यालय होगा।
11. नीलामी की अधिकतम राशि की बोली देने वाले व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जाकर उसे खरीददार करार दिया जावेगा।
12. उक्त नीलामी से क्रय रद्दी पर यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर देय होता है तो उसकी जमा की जिम्मेदारी अंतिम बोलीदाता/खरीददार की होगी।
13. उक्त नीलामी दर वित्तीय वर्ष 2023–24 यानी दिनांक 31.03.2024 तक प्रभावी रहेगी। नये एकत्रित होने वाली रद्दी दिनांक 31.03.2024 तक इसी स्वीकृत दर पर उठानी होगी।
14. यदि दिनांक 26.07.2023 को कार्यालय में अवकाश घोषित हो जाता है तो समस्त कार्यवाही अंकित समयानुसार अगले कार्य दिवस में की जावेगी।

अध्यक्ष
रद्दी नीलामी समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– 1362 दिनांक :– 17-7-23

प्रतिलिपी :–

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/समस्त न्यायालय जिला बांसवाड़ा/जिला कलक्टर कार्यालय/सूचना केन्द्र/नगर परिषद बांसवाडा।
2. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय बांसवाड़ा को वास्ते जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री पेमाजी यादव, यादव मोहल्ला, कस्टम रोड, बांसवाड़ा।
4. श्री मेहबूब खॉ प्रोपाईटर मैसर्स डी.एम.डी. आयरनर्स एण्ड स्पेयर्स बांसवाड़ा।
5. श्री रियाजुद्दीन पुत्र श्री बाबू भाई, मधूबन कॉलोनी, बांसवाड़ा।
6. श्री जफर मोहम्मद पुत्र श्री गनी मोहम्मद, पृथ्वीगंज, जूना हजीरा, बांसवाड़ा।
7. श्री जुम्मा खां पुत्र श्री शब्बीर खां, इन्द्रा कॉलोनी, टॉवर के पास, बांसवाड़ा।
8. श्री मोहम्मद हनीप पुत्र श्री मोहम्मद खां, तेलीवाड़ा, बांसवाड़ा।

अध्यक्ष
रद्दी नीलामी समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)